

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9349/553

दिनांक: 02/06/2023

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.24129 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, P.H. Engineering Division, Narwana for R.C.C. Pipe, Inlet Channel of 350mm pipe on pillar at Barsola Minor to Village Bhongra, under forest Division and District Jind, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/43175/2019

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार द्वारा PUBLIC HEALTH ENGINEERING, DIVISION NARWANA. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.24129 है0 वन भूमि का प्रयोग किया जाना था जिसमें 48 वृक्ष (वाल्युम 27.79 m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अति0 प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Uchana jalab kheri Road R/side, पर 480 पौधे लगवाए जाएंगे ।

वन भूमि के उपयोग के लिए Para 4.3 (d) in Chapter 4 Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications) 2019 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-9349/950 दिनांक 08.03.2021 द्वारा जारी की गई थी ।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा सी0ए0 स्कीम व एन0पी0वी0 इत्यादि की कुल 2863488/- रुपयें की राशि जमा करवाई जा चुकी है व ऑनलाईन कार्रवाई भी पूर्ण कर दी गई है ।

वर्तमान नियमों के अनुसार Gernal Approval की सक्षमता राज्य सरकार की है। अतः उक्त प्रस्ताव में स्टेज-1A स्वीकृति जारी करने हेतु भेजा जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर प्रस्ताव के स्टेटस Inprinciple है इसलिए ऑनलाईन प्रस्ताव नहीं भेजा जा सकता है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1A स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख)
हरियाणा, पंचकुला।

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9349/553

दिनांक: 02/06/2023

एक प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख)
हरियाणा, पंचकुला।

CFMS-1-FRT02062023-2585